दिनांक : 06.06.2021

सं0फा0 2/07/2020/एस.आई/पार्ट फाइल–III/435

आदेश

1. जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक समझा गया है।

2. और जबकि, दिल्ली में कोवैक्सिन की सीमित आपूर्ति को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 03/06/2021 को आदेश जारी किया, जिसके तहत सभी सरकारी टीकाकरण केन्द्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जून माह 2021 के दौरान अथवा आगामी आदेशों तक 18–44 वर्ष आयु–समूह के संबंध में टीकाकरण की दूसरी खुराक को प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों को ही कोवैक्सिन लगाई जाए।

3. और जबकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.06.2021 में डब्ल्यूपी (सी) संख्या 5736/2021, शीर्षक आशीष विरमानी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य, डब्ल्यू पी (सी) संख्या 5739/2021 शीर्षक राजीव पराशर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य और डब्ल्यूपी (सी) संख्या 5891/2021 शीर्षक कुशल कुमार एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य के रूप में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को निर्देश दिया कि वह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जो निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम को–वैक्सिन का प्रयोग कर टीकाकरण कर रहे हैं, को जून माह, 2021 में 18–44 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में दूसरी खुराक के उदेद्श्य के लिए टीकाकरण को सख्ती से **आरक्षित** करने पर विचार करने हेतु आदेश जारी करें।

4. अब, इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा निर्देशित करते हैं कि कोवैक्सिन के लिए कोविड टीकाकरण केन्द्रों के रूप में कार्यशील सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम सुनिश्चित करें कि टीकाकरण के लिए कोवैक्सिन का प्रयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों (18–44 वर्ष आयु समूह) के लिए करे, जो जून माह 2021 के दौरान या भावी आदेशों तक, जो भी पहले हो टीकाकरण की दूसरी खुराक लेने के लिए पात्र हैं।

5. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्रधान सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, निदेशक (दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवा), निदेशक

Scanned with CamScanner

(परिवार कल्याण विभाग), एमएस (नर्सिंग होम सैल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेट और अनुबंध विकास एवं विनिर्माण संगठन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोवैक्सिन के लिए कोविड टीकाकरण केन्द्रों के रूप में कार्यशील सभी संबंधित निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम इस आदेश का अक्षरशः सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

6. यदि कोई व्यक्ति पूर्वोक्त निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो दोषी व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188, महामारी अधिनियम, 1897 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

हस्ता0/–
(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–

1. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
4. निदेशक (डीजीएचएस), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. निदेशक (डीएफडब्ल्यू), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. एमएस (नर्सिंग होम सैल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. समस्त जिला सीडीएमओ, दिल्ली।
8. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोवैक्सिन के लिये टीकाकरण केन्द्रों के रूप में कार्यरत सभी संबंधित निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. अपर मुख्य सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
13. प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

Scanned with CamScanner

14 पुलिस आयुक्त, दिल्ली।

15. आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम)।

16. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।

17. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त कार्यालय, दिल्ली, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।

18. गार्ड फाइल।

Scanned with CamScanner